

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 719] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 12, 2019/अग्रहायण 21, 1941 No. 719] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 12, 2019/AGRAHAYANA 21, 1941

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 912(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियमों को तात्कालिक प्रभाव से विखंडित करती है, अर्थात् :-

- (i) सा.का.नि. सं. 663(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित डाकघर बचत खाता नियम, 1981;
- (ii) सा.का.नि. सं. 664(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत सावधि जमा नियम, 1981;
- (iii) सा.का.नि. सं. 666(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा नियम, 1981;
- (iv) सा.का.नि. सं. 701(अ), तारीख 10 अगस्त, 1987 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) नियम, 1987:
- (v) सा.का.नि. सं. 496(अ), तारीख 1 मई, 1989 द्वा्रा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत-पत्र (सातवां निर्गम) नियम, 1989;
- (vi) सा.का.नि. सं. 490(अ), तारीख 2 अगस्त, 2004, द्वारा प्रकाशित वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004;
- (vii) सा.का.नि. सं. 705 (अ), तारीख 23 सितंबर, 2014 द्वारा प्रकाशित किसान विकास पत्र नियम, 2014;
- (viii) सा.का.नि. सं. 323(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2016: परंतु ऐसी सुस्ती,-
- (i) उक्त नियमों के पूर्व प्रचालन या कुछ किया गया है या करने का लोप किया गया है या उसमें सहन किया गया हो ; या

6395 GI/2019 (1)

FORM - 4

[See paragraph 7]

(Application for pledging of account)

То			
The Postmaster/Mana			
Sir,			
Rsthe gazetted officer Cooperative Bank, Authority). I/We then under Kisan Vikas Pa	of the Governme Registered Coope refore request you atra Scheme as second	am/are reductive with	(official designation of of India or a Scheduled Bank, overnment company or Local umber
		an be encashed by the pledgee whein the account stands	
		Particulars of Account	
Account number	Date	Name of Account office	Amount
The authority mentio competent authority as	s pledgee is attache	Signature of account h	
		For office use only	
dated ar	nd necessary entrie	has been pledged vide regists have been marked in the record. Pedge and returned to the account hold	assbook/deposit receipt/statement
			Signature of Post Master/Manager Seal

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 921(अ).— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम डाकघर बचत खाता स्कीम, 2019 है।

- (2.) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।
- 2. परिभाषा: (1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;
- (क) ''खाता" से इस स्कीम के अधीन खोला गया खाता अभिप्रेत है;
- (ख) ''खाता धारक" से वह व्यष्टि अभिप्रेत है जिसके नाम खाता धारित हो;
- (ग) ''अधिनियम'' से सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत है;
- (घ) ''प्ररूप'' से इस स्कीम से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;
- (ङ) ''साधारण नियम'' से सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम, 2018;
- (च) "वर्ष" से 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।
- (2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम और साधारण नियमों में हैं।
- 3. खातों के प्रकार:- (1) कोई खाता प्ररूप-1 में आवेदन करके निम्नलिखित द्वारा खोला जा सकेगा:-
- (क) एकल वयस्क;
- (ख) दो वयस्क संयुक्त रूप से;
- (ग) अवयस्क की ओर से संरक्षक;
- (घ) विकृत चित्त व्यक्ति की ओर से संरक्षक
- (ङ) अवयस्क जिसने 10 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, स्वयं अपने नाम पर

परंतु किसी व्यष्टि द्वारा एकल खाते के रूप में केवल एक ही खाता खोला जा सकता है।

परंतु यह और कि खंड (ड.) के अधीन खाता तभी खोला जा सकता है जब खंड (ग) के अधीन खाता अवयस्क या विलोमता, के नाम पर विद्यमान नहीं है।

- (2) संयुक्त खाते में अतिशेष में व्यष्टि का भाग समानुपात होगा। किसी संयुक्त खाते में खाताधारकों में से किसी एक खाता धारक की मृत्यु होने पर, उत्तरजीवी खाताधारक को खाते के एकमात्र धारक के रूप में माना जाएगा और वह इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार खाते का संचालन जारी रख सकेगा परंतु यदि उसके नाम पर अन्य कोई एकल खाता धारित न हो। यदि उत्तरजीवी खाताधारक के नाम पर एकल खाता विद्यमान है, तो उस खाते को बंद करना होगा।
- 4. जमा और आहरण:- (1) न्यूनतम पांच सौ रुपये की जमा के साथ खाता खोला जा सकेगा और तत्पश्चात् दस रुपये से कम की रकम के लिए कोई जमा स्वीकृत नहीं की जाएगी।
- (2) किसी खाते में अधिकतम जमा की कोई सीमा नहीं है।
- (3) खाते से आहरण, जो पचास रुपये से कम का नहीं होगा, सम्यक् रूप से भरे व हस्ताक्षरित प्रपत्र 2 के साथ पासबुक प्रस्तुत करके किया जा सकेगा । खाते में से आहरण चैक अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए न्यूनतम निर्धारित सीमा से अधिक अतिशेष रकम की उपलब्धता के अध्यधीन किया जा सकेगा ।
- (4) जिस आहरण से अतिशेष पांच सौ रुपये से कम होता हो, का कोई आहरण अनुज्ञेय नहीं होगा।
- (5) इस स्कीम के लागू होने के तुरंत पहले यदि खाते में अतिशेष पांच सौ रुपये से कम है, खाता धारक इन नियमों के लागू होने से एक वर्ष की अवधि के भीतर इतनी रकम जमा करेगा जिससे कि खाते में न्यूनतम अतिशेष पांच सौ रुपये हो जाए और

विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर अपेक्षित रकम जमा करने के लिए उपयुक्त विधि के जरिए खाताधारक को सलाह देने हेतु लेखा कार्यालय जिम्मेदार होगा।

- (6) खाते में न्यूनतम पांच सौ रुपये अतिशेष रखने के लिए यदि खाताधारक विनिर्दिष्ट अविध के भीतर उतनी रकम जमा करने में असमर्थ होता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्यदिवस को खाते में से एक सौ रुपये का खाता रखरखाव शुल्क काट लिया जाएगा और खाता रखरखाव शुल्क की कटौती करने के बाद पश्चात् खाते में अतिशेष शून्य हो जाता है, तो खाता स्वतः ही बंद हो जाएगा और जब खाता बंद हो जाता है तब खाताधारक को अधिसूचित किया जाएगा। यह उपबंध सभी खातों, जिसके अंतर्गत निष्क्रिय खाते भी हैं, को लागू होगा।
- (7) सभी जमा और आहरण केवल पूर्ण रुपये में किया जाएगा।
- **5. खाते में जमा पर ब्याज:-** (1) समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर कैलेंडर मास के लिए बंद होने के दसवें दिन और मास के अंत के बीच खाते में न्यूनतम जमा अतिशेष पर ब्याज अनुज्ञात होगा और यह ब्याज प्रत्येक वर्ष के अंत में परिकलित होगा और खाते में जमा होगा।
- (2) केवल संपूर्ण रुपये की रकम पर ब्याज अनुज्ञात होगा और इसे निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए पचास पैसे या अधिक की रकम एक रुपये मानी जाएगी और पचास पैसे से कम की रकम छोड़ दी जाएगी।
- (3) किसी मास के लिए खाते में कोई ब्याज अनुज्ञय नहीं होगा जिसमें किसी भी समय मास के दसवें और अंतिम दिन के बीच जमा पांच सौ रुपये से कम हो।
- (4) यदि किसी वर्ष के दौरान खाता बंद किया जाता है, तो खाता बंद होने के पहले के मास के अंत तक ब्याज अनुज्ञात होगा।
- (5) खाता धारक की मृत्यु हो जाने पर उसके खाते में ब्याज, जिस मास खाता बंद किया जाता है, उसके पूर्व के मास के अंत तक अनुज्ञात होगा।
- **6. अतिशेष की पृष्टि:-** लेखा कार्यालय द्वारा खाताधारक की पासबुक या खाते का विवरण लेखा कार्यालय द्वारा जारी किया जाएगा। खाताधारक किसी भी समय अपनी पासबुक प्रस्तुत करते हुए अपने खाते में अतिशेष की पृष्टि कर सकेगा।
- 7. चैक बुक जारी करना:- आवेदन करने पर खाता धारक को दस पर्चियों वाली एक चैक बुक एक वर्ष में नि:शुल्क जारी की जा सकेगी। तत्पश्चात् जारी चैकबुक दो रुपए प्रति चैक प्रभारित होगी।
- **8. निष्क्रिय खाता: -** (1) किसी खाते में जिसमें पूरे तीन वर्षों के लिए जमा या आहरण नहीं हुआ हो, वह निष्क्रिय खाता माना जाएगा और निष्क्रिय खाते में ब्याज का प्रत्यय संव्यवहार नहीं माना जाएगा।
- (2) निष्क्रिय खाते में कोई संव्यवहार खाताधारक द्वारा खाता की बहाली हेतु आवेदन तथा लेखा कार्यालय द्वारा सम्यक् प्रक्रिया पूरी करने पर खाता पुनरुज्जीवित होने के पश्चात ही अनुज्ञात होगा।
- 9. बंद करने पर अंतिम आहरण:- खाताधारक, खाता बंद करने हेतु प्ररूप-2 में आवेदन के साथ पासबुक, अप्रयुक्त अथवा आंशिक रूप से प्रयुक्त चैकबुक आदि, यदि कोई हो, खाता कार्यालय को अभ्यर्पित करके, किसी भी समय खाता बंद कर सकेगा
- 10. साधारण नियमों का लागू होना:- साधारण नियम के उपबंध, उन मामलों के संबंध में भी लागू होगें, जिनके लिए इस स्कीम में कोई उपबंध नहीं किए गए हैं।
- 11. शिथिल करने की शक्ति जहां केंद्रीय सरकार, का यह समाधान हो गया है कि इस स्कीम के किसी उपबंध के प्रचालन से खाता धारक को असम्यक् कष्ट होता है, यह ऐसे कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, आदेश द्वारा उस उपबंध की अपेक्षा को ऐसी रीति में जो अधिनियम के उपबंधों के साथ असंगत न हों, शिथिल कर सकेगी।

[फा.सं.2/2/2018-एनएस (भाग-I)] रजत कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

प्ररूप 1

[पैरा 3 का उप-पैरा (1) देखिए]

(खाता खोलने के लिए आवेदन)

सेवा में,					
श्रीमान 	, पोस्टमास्टर/प्रबंधक				
				आवेदक/आवेदकों का	
				फोटो चिपकाएं	
श्रीमान,					
	 लने के लिए आवेदन कर		कों)/संरक्षक) आपके ड	डाकघर/बैंक में डाकघर बचत खा	ाता स्कीम के
			•	शब्दों में रुपए) नक	
ड्राफ्ट संख्यांक विशिष्टियां निम्न		तारीख	आरंभिक जमा ^{हे}	के रूप में निविदा करता हूं/हैं	। मेरी/हमारी
1. प्रथम जमाकत	र्ग का नाम				
पति/पिता/मात	ा या न्यायालय द्वारा नि	नेयुक्त संरक्षक का ग	नाम		
जन्म की तारीख	<u></u>	(दिदि/मम/वववव	ा) शब्दों में		
2. दूसरे जमाकत	र् <u>व</u> का नाम				
पति/पिता/मात	ा का नाम				
जन्म की तारीख	Ī	(दिदि/मम/वववव	T)		
3. तीसरे जमाकत	र्ता का नाम				
पति/पिता/मात	ग का नाम -				
जन्म की तारीर	ব্র	(दिदि/मम/ववव	व)		
4. अवयस्क/विकृ	तचित्त व्यक्ति खाताध	ारक का नाम			
पिता/माता/संर	रक्षक का नाम				
जन्म की तारीर	ব্র	(दिदि/मम/ववव	व)		
5. खाताधारक(क	ों) का आधार संख्यांक				
6. खाताधारक(क	ों) का स्थायी खाता स <u>ं</u>	ख्यांक (पैन)			
7. वर्तमान पता					
स्थायी पता					

8. संपर्क ब्यौरे								
टेलीफोन नं								
मोबाइल नं								
ई-मेल आईडी								
9. खाते का प्रकारएव नेत्रहीन या दिव्यांगजन, किसी प्राधिवृ	कल या संयुक्त या अवयस्क के मामले में संरक्ष कत व्यक्ति के माध्यम से।	क के माध्यम से या विकृतचित्त व्यक्ति या						
10. (*)अवयस्क के जन्म की तारीख वे	_व ब्यौरे							
(अवयस्क के खाते के मामले में लागू)								
(क) प्रमाणपत्र सं.								
(ख) जारी होने की तारीख								
(ग) जारी करने वाला प्राधिव	<mark>कारी</mark>							
11. (*) संरक्षक(प्राकृतिक/विधिक) का	- नाम							
(अवयस्क/विकृतचित्त व्यक्ति की ः	ओर से खाता खोले जाने की दशा में)							
12. अन्य संलग्न केवाईसी दस्तावेजों	के ब्यौरे 1. पहचान का सबूत							
	2. पते का सबूत							
·	ाते के सबूत के प्रयोजन के लिए विधिमान्य दस् प्राता पहचान पत्र 4. नरेगा द्वारा जारी, राज्य जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र :	-						
13. खाते का संचालन निम्न प्रकार से								
(क) सभी धारकों द्वारा एक साथ या उ	•							
(संयुक्त खाते के मामले में)	•							
(ख) या तो धारक(कों) द्वारा या उत्तरर	जीवी जमाकर्ता/जमाकर्ताओं द्वारा							
14. मेरे/हमारे नमूने हस्ताक्षर								
1.	2	3						
(नाम)								
2.								
(नाम)								
3.	(नाम)	2						
1. (नाम) 2								
(नाम)								

मैं, स्कीम पर लागू उपबंधों और स्कीम को लागू सरकारी बचत संवर्धन नियम, 2018, और उसके अधीन समय-समय पर जारी संशोधनों, को पालन करने का वचन देता हूं।

खाताधारक(कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप

त	₹	ख												
		· •	 	 			 					•	•	٠

नाम निर्देशन

16. मैं/हम नीचे उल्लिखित व्यक्ति(यों) का नाम निर्देशन करता हूं/करते हैं जिनको मेरी मृत्यु की दशा में अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित करके डाकघर बचत खाता स्कीम में मेरी जमा रकम को मेरी मृत्यु के समय संदत्त की जाएगी:

क्र.सं	नाम निर्देशिती(यों) का नाम (के नाम) और संबंध	पूरा पता(पते)	नाम निर्देशिती का आधार संख्यांक नाम (वैकल्पिक)	अवयस्क के मामले में नाम निर्देशिती के जन्म की तारीख	हकदारी का अंश	हकदारी की प्रकृति, न्यासी या स्वामी
1						
2						
3						
4						

चूंकि, उपरोक्त विनिर्दिष्ट क्रम संख्या (कों)	निर्देशिती (यां) अवयस्क है/हैं, श्री	/श्रीमती/कुमारी
 पुत्र/पुत्री/पत्नीनिवासी	·को नाम निर्दे [।]	शिती/नाम निर्देशितियों की
अवयस्कता के दौरान मेरी मृत्यु की दशा में उक्त खाते के अ	ग्धीन देय रकम को प्राप्त करने के लिए <mark>र</mark> ि	नेयुक्त करता हूं ।
1. साक्षी के हस्ताक्षर		
नाम और पता		
2. साक्षी का नाम		
नाम और पता		
	खाताधारक (कों) /संरक्षक	के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप
स्थान		•
तारीख		
टाक घर	/बैंक के प्रयोग हेत्	तारीख
थान पर यह खाता यह खाता के नाम में तारीख	को रुके आरंपि	भेक जमा के साथ
स्कीम के अधीन (स्कीम का नाम) खाता संख्य		
खोला गया है।		
ग्राहक पहचान संख्यांक		
नाम निर्देशन संख्यांकतारीख	द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया ग	या है
सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा		

प्ररूप 2 [पैरा 9 देखिए] (खाता बंद करने के लिए आवेदन)

डाक घर /बैंक का नाम	
तारीख खाता संख्यांक 1. मैं/हम पासबुक/जमा रसीद प्रस्तुत करता हूं/करते हैं खाता को बंद करने के लिए आवेदन करता हूं/ करते हैं।	और अपने/हमारे तारीखको परिपक्व उपरोक्त उल्लिखित
2. कृपया मेरे परिपक्व खाते में अतिशेष रकम का मेरे ब (खाता कार्यालय का नाम) में प्रत्यय करें।	गचत बैंक खाता संख्यांकस्थतस्थित
	या
कृपया डिमांड ड्राफ्ट/पाने वाले के नाम चैक जारी करें	
कृपया नकद संदाय करें (लागू, यदि रकम अनुज्ञेय सीमा	या से तीचे दो)
-	के प्रयोग के लिए है जो जीवित है और अवयस्क है, अपेक्षित है ।
(लेखा कार्यालय को ज्ञात व्यक्ति द्वारा अंगूठा छाप प्रमा	खाताधारक (कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप णित की जानी चाहिए)
(केवल [ा]	संदाय आदेश कार्यालय के प्रयोग हेतु) तारीख
मूल रकम रुपए	ताराखसंदाय ब्यौरा
(+) देय ब्याज रुपए	·
(-) अधिक संदत्त ब्याज की वसूली रुपए	
कटौती, यदि कोई हो, रुपए	
कुल देय रकम रुपए	
रुपए(अंको में)	(शब्दों में) का संदाय करें ।
तारीख	
	पोस्टमास्टर/प्रबंधक के हस्ताक्षर
	भुगतान कर्ता द्वारा भरा जाए)
रुपएका संख्यांकको अंत	(शब्दों में) नकद /चैक/डीडी संख्यांकतारीख- रण द्वारा, प्राप्त किए ।

स्थानः

तारीख:

खाताधारक(कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2019

- **G.S.R. 921(E).**—In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:-
- **1. Short title and commencement.**-(1) This Scheme may be called the Post Office Savings Account Scheme, 2019.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.- (1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "account" means an account opened under this Scheme;
 - (b) "account holder" means an individual in whose name the Account is held;
 - (c) "Act" means the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873);
 - (d) "Form" means forms appended to this Scheme;
 - (e) "General Rules" means the Government Savings Promotion General Rules, 2018;
 - (f) "year" means a period of twelve months commencing on the 1st day of April.
- (2) Words and expressions used herein but not defined shall have the meanings assigned to them in the Act and in the General Rules.
- 3. Type of Account.- (1) An account may be opened by making an application in Form-1 by the following:-
- (a) a single adult;
- (b) two adults jointly;
- (c) a guardian on behalf of a minor;
- (d) a guardian on behalf of a person of unsound mind;
- (e) a minor who has attained the age of ten years, in his own name:

Provided that only one account can be opened by an individual as a single account:

Provided further that an account under clause (e) can only be opened if an account under clause (c) does not exist in the name of the minor or *vice versa*.

- (2) The share of an individual in the balance in a joint account shall be in equal proportion. On the death of one of the account holder in a joint account, the surviving account holder shall be treated as the sole owner of the account and he may continue the account in accordance with the provisions of this Scheme provided another single account is not held in his name. In case a single account exists in the name of the surviving holder, the account shall have to be closed.
- **4. Deposits and withdrawals.-** (1) The account may be opened with a minimum deposit of five hundred rupees and no subsequent deposit shall be accepted for an amount less than ten rupees.
- (2) There shall be no maximum limit of deposit in an account.

- (3) Withdrawals from the account for not less than fifty rupees may be made by presenting pass book alongwith Form-2 duly filled in and signed. Withdrawals from the account may also be made subject to the availability of balance above minimum prescribed limit by way of cheque or electronic means.
- (4) No withdrawal shall be permitted which has the effect of reducing the balance to less than five hundred rupees.
- (5) In case of an account having a balance of less than five hundred rupees immediately before the commencement of this Scheme, the account holder shall deposit the difference amount within a period of one year from the date of commencement of this Scheme, so as to bring the balance in the account to a minimum of five hundred rupees and the accounts office shall be responsible for advising the account holder through appropriate mode to make the required deposits within the specified date.
- (6) If the account holder fails to make such deposit within the specified period, an account maintenance fee of one hundred rupees shall be deducted from the account on the last working day of each financial year and after deduction of the account maintenance fee, if the balance in the account becomes nil, the account shall stand automatically closed and the account holder shall be notified accordingly. This provision shall be applicable to all accounts including Silent Account.
- (7) All deposits and withdrawals shall be made in whole rupees only.
- **5. Interest on deposits in an account.-** (1) The interest at the rate of four per cent per annum shall be allowed for a calendar month on the lowest balance at the credit of an account between the close of the tenth day and the end of the month, and such interest shall be calculated and credited in the account at the end of each year.
- (2) The interest shall be allowed only on sums of whole rupees and shall be rounded off to the nearest rupee and for this purpose any amount of fifty paisa or more shall be treated as one rupee and any amount less than fifty paisa shall be ignored.
- (3) No interest shall be allowed on an account for any month in which the balance at credit is below five hundred rupees at any time between the tenth and the last day of the month.
- (4) If an account is closed during a year, interest shall be allowed upto the end of the month preceding the month in which the account is closed.
- (5) In the event of death of an account holder, the interest in his account shall be paid only in the end of the month preceding the month in which the account is closed.
- **6. Confirmation of balance.-** A pass book or statement of account of the account holder shall be issued by the accounts office. The account holder may confirm balance in his account by presenting his pass book during office hours.
- **7. Issue of cheque book.-** A cheque book containing ten leaves may be issued to the account holder on an application, free of charge in a year. Subsequent issue of cheque book shall be charged at two rupees per cheque.
- **8. Silent Account.-** (1) An account in which a deposit or a withdrawal has not taken place for three complete years, shall be treated as a Silent Account and credit of interest in a Silent Account shall not be treated as a transaction.
- (2) Transaction in a Silent Account shall be allowed only after revival of account. The account can be revived through an application by the account holder and after completion of the due process by the accounts office.
- **9. Final withdrawal on closure.-** The account may be closed at any time by the account holder by surrendering the pass book, unused or partially used cheque book, if any, etc. to the accounts office, along with the application in Form-2 for closure of the account.
- **10. Application of General Rules.-** The provisions of the General Rules shall, so far as may be, apply in relation to the matters for which no provision has been made in this Scheme.
- 11. Power to relax.- Where the Central Government is satisfied that the operation of any of the provision of this Scheme causes undue hardship to an account holder, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax the requirements of that provision in a manner not inconsistent with the provisions of the Act.

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 153

[F.No.2/2/2018 NS (Pt.I)] RAJAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

FORM - 1 [See sub-paragraph (1) of paragraph 3] (Application for opening an account)

To					ъ .	1 , 1	7
T	he Postmaster/Manager					photograph blicant/s	
•••••							
•••••							
Sir,							
	I/We(ac				oply for opening	ng of an a	ccount
	Post Office Savings Account Sche	•	ost Offic	e/Bank.			
	ender herewith Rs)	in cash/Cheque	e/DD.	
No	date as ini	tial deposit. N	/Iy/our pa	articulars are as	under:-		
1.	Name of First Depositor						
	Husband/Father /Mother's	name	or	Guardian	appointed	by	Court
			• • • • • • • • • •				
	Date of Birth		(DD				
		(In wo	•				
		(III WC	7 d3)	•••••		•••••	
2.	Name of Second Depositor						
	Husband/Father /mother's name						
	Date of Birth		•••••				
		(I.,	`	/ MM / YY			
2	Name of Third Denositor						
3.	Name of Third Depositor	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	
	Husband/Father /mother's name						
	Date of Birth						
			•	/ MM / YY	,		
		(In we	ords)			•••••	
4.	Name of minor/person of unsour	nd mind accor	unt holde	er			
	Father /mother/guardian's name.						
	Date of Birth						
	Dute of Birth		(DD /	/ MM / YY	/YY)		

			(In words)					
5.	Aadhaar Number of ac	count holder(s)						
6.	Permanent Account N	umber (PAN)	of account holder(s)					
7.	Present Address							
	Permanent Address							
8.	Contact details							
	Telephone Number							
	Mobile Number							
	Email ID							
9.	Type of Account		Single or Joint or through Guardian for Minor or person of unsound mind or blind or differently abled through authorised person.					
10.	(*) Details of date of b	irth of minor						
	(Applicable in case of	minor account)						
	a) Certifi	cate No						
	,							
	c) Issuin	g authority						
11.	(*) Name of Guardian	(Natural/Legal).						
	(In case the account is	opened on behal	If of a Minor/person of unsound mind)					
12.	Details of other KYC	documents attac	hed 1. Proof of identification					
			2. Address proof					
	address proof: 1. Pass	port 2. Driving lanent officer 5.	ted as valid documents for the purpose of identification and icense 3. Voter's ID card 4. Job card issued by NREGA signed Letter issued by the National Population Register containing					
13.	The operation of the ac	ecount will be:-						
	(a) By all the holders	together or the s	urviving holder/s.					
	(In case of joint account	nt)						

भारत का राजपत्र : असाधारण 155 [भाग II – खण्ड 3(i)]

(b) By either of the holder/s, or the surviving depositor/s, 14. My/our specimen Signatures 2...... 3.,.... 1..... (Name)..... 2......3...... 1..... (Name)..... 2...... 3...... 1..... (Name)..... 2...... 3..... 1..... (Name)..... I hereby undertake to abide by the scheme provisions and Government Savings Promotion rules-2018 applicable on the Scheme and amendments issued thereto from time to time. Signature or thumb impression of account holder(s)/guardian Date:.... Nomination 16. I/we....hereby nominate the person(s) mentioned below to whom to the exclusion of all other persons in the event of my death the amount standing to my credit in Post Office Savings Account Scheme at the time of my death would be payable. S.No. Name(s) of the Full address (s) Aadhaar number Date of birth Share of Nature of nominee(s) and of nominee entitlement entitlement αf relationship nominee(optional) in case of Trustee or minor owner As the nominee(s) at Serial No.(s).....specified above is/are minor(s), I appoint under the said account in the event of my death during the minority of the nominee(s). 1. Signature of witness.....

1 2

3

4

Name & Address..... 2. Signature of witness..... Name & Address.....

		Signature or thumb	impression of account holder	(s)/gua	ardian
Place:					
Date:					
	For	use of Post Office/Ban	k		
	been opened in the na		on		with
initial Re	1111/	deposit	(name	of	of the
			(name		uic
Customer identificati	on Number				
Nomination	has	been	registered		vide
No	date	d			
			Signature and seal of comp	etent :	authority.
		FORM - 2			
		[See paragraph 9]			
	(Applio	cation for closure of acco	ount)		
Name of Post Offic	e/Bank		Date		
Account Number_					
1. I/we her account matured on_	-	deposit receipt and apply	for closure of my/our above	ment	ioned
			matured account to my S(Name of Account office).		count
		or			
Please issue a Demar	nd Draft/account payee	cheque			
		or			
Please pay in cash (a)	pplicable if the amount	is below permissible limi	it).		
*Certified, that		ld in the account is alive and still a minor.	s required for the	use	of
		Signature or thumb	impression of account holder	(s)/gua	ardian
(Thumb impression s	hould be attested by a	person known to Account	s office)		
		Payment Order			
		(For office use only)			
			Date		
		Payment detail			
Principal amou	nt Rs				

(+) Interest due	Rs	
(-) Recovery of overp	aid interest Rs	
Deduction if any	y Rs	
Total Amount d	ue Rs	
Pay Rs	(in figurers)	(in words)
Date		
		Signature of Postmaster/Manager
	Acq	uittance
	(to be fille	ed by depositor)
Received Rs	(In figures)dated	(in words) By cash/cheque/DD bearing/by transfer to Account No
Place:		
Date:	Signature/thumb im	apression of account holder(s)/guardian

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. **922(अ)**.— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1.) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत सावधि जमा स्कीम, 2019 है।
- (2.) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।
- 2. परिभाषा: (1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
- (क) ''खाता" से इस स्कीम के अधीन खोला गया खाता अभिप्रेत है;
- (ख) ''खाता धारक'' से वह व्यष्टि अभिप्रेत है जिसके नाम खाता धारित हो;
- (ग) ''अधिनियम'' से सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत है;
- (घ) ''प्ररूप'' से इस स्कीम से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;